राजस्व वाद स. 99 / 2020
जयसिंह बनाम बलबीर आदि
निर्णय दिनांक 7/8/23

राजस्थान सरकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद स. 99 / 2020 जीसीएमएस नम्बर ~~2015 / 00374~~ 2020/00181

जयसिंह पुत्र श्री सहीराम उम्र 41 वर्ष जाति जाट निवासी भैसावता खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)।

..........वादी

– ब ना म –

1. बलवीर पुत्र ताराचन्द उम्र 58 वर्ष
2. शीशराम पुत्र ताराचन्द उम्र 53 वर्ष
3. मदन पुत्र ताराचन्द उम्र 50 वर्ष

(1–3) जाति खाती निवासी भैसावता खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

4. अरूण पुत्र मनोज जाति खाती
5. इन्द्रा पुत्री लिछमीनारायण उर्फ लक्ष्मणसिंह
6. औमप्रकाश पुत्र मनोहर
7. कमलेश कुमार पुत्र बनवारी
8. कमला पुत्री गंगाधर
9. गोदावरी पुत्र बनवारी
10. रामसिंह
11. राजेन्द्र
12. लीलाधर

(10–12) पुत्रान छैलू

13. छोटा पुत्री छैलू
14. अंजना पुत्री छैलू
15. फुलकौर पुत्री छैलू

(4–15) समस्त जाति खाती निवासी भैसावता खुर्द तह. बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

16. शान्ति पत्नि धनसिंह जाति खाती निवासी भैसावता खुर्द तह. बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
17. मरवण देवी पत्नि सीताराम जाति खाती निवासी भैसावता खुर्द तह. बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
18. विकाश पुत्र सीताराम नवीरा धनसिंह जाति जाट निवासी भैसावता खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
19. संजू पुत्री सीताराम पत्नि विरेन्द्र जाति जाट निवासी भैसावता खुर्द हाल आबाद सैदपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
20. नरोतम पुत्र राधेश्याम जाति खाती
21. प्यारेलाल पुत्र सत्यनारायण जाति खाती
22. प्रदीप पुत्र गंगाधर जाति खाती

(20–22) निवासी भैसावता खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

23. बनारसी पत्नि गंगाधर जाति खाती
24. भूपेन्द्र पुत्र गोपीचन्द जाति खाती
25. भाग्यवती पुत्री लिछमीनारायण उर्फ [illegible] जाति खाती
26. मेवा पत्नि सत्यनारायण जाति खाती
27. माईराम पुत्र बनवारीलाल जाति खाती
28. मांगेराम पुत्र बनवारीलाल जाति खाती

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.09.22 12:29:11 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

राजस्व वाद स. 99/2020
जयसिंह बनाम बलबीर आदि
निर्णय दिनांक 7/8/23

29. राजेन्द्र पुत्र गंगाधर जाति खाती
30. राजेश कुमार पुत्र लिछमीनारायण उर्फ लक्ष्मणसिंह जाति खाती
31. विनोद पुत्र गोपीचन्द जाति खाती
32. शकुन्तला पत्नि गोपीचन्द जाति खाती
33. शारदा पत्नि राधेश्याम जाति खाती
34. सन्तोष देवी पत्नि लिछमीनारायण उर्फ लक्ष्मणसिंह जाति खाती
35. सन्तलाल पुत्र राधेश्याम जाति खाती
36. सुनील पुत्र गोपीचन्द जाति खाती
37. सुनील कुमार पुत्र लिछमीनारायण उर्फ लक्ष्मणसिंह जाति खाती
समस्त निवासी भैसावता खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज.।
38. सुमेरसिंह पुत्र बीरबल जाति जाट
39. सुमित्रा पत्नि मनोहर जाति खाती
40. सुमित्रा पुत्री बनवारी जाति खाती
41. सुरजी पत्नि रामजीलाल जाति खाती
42. सिलोचना पुत्री गंगाधर जाति खाती
} निवासीगण भैसावता खुर्द तह. बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
43. लैण्ड होल्डर तहसीलदार भू– अभिलेख बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

दावा – घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती,खाता विभाजन

उपस्थिति –
1. श्री राजेश कुमार यादव , अधिवक्ता – वादी की ओर से ।
2. श्री सुरेन्द्र नाड़िया, अधिवक्ता– प्रति. सं. 4,6,10,11,13 से 19, 24 ,31, 32, 36, 38, 39 की ओर से
3. शेष प्रतिवादीगण के विरूद एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

–:: निर्णय ::–

दिनांक –7/8/2023

वादी की ओर से हस्तगत वाद पत्र – घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती, खाता विभाजन इन संक्षिप्ततः अभिवचनो के साथ प्रस्तुत किया गया हैं कि:–

1. यह कि वाके ग्राम भैसावता खुर्द तहसील बुहाना स्थित भूमि ख.न. 203 रकबा 0.43है., ख.न. 204 रकबा 0.33 है., ख.न. 207 रकबा 0.25 है., ख.न. 295/204 रकबा 0.13 है. कुल किता 4 रकबा 1.14 है. में प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 एवं उनकी माता सरबती का 1/12 हिस्सा था जो उन्होने अपना सम्पूर्ण हिस्सा वादी को दिनांक 02.05.2017 को पंजिकृत विकय पत्र से बेचान कर कब्जा वादी का करवा दिया जिस पर वादी शान्तिपूर्वक बिना किसी बाधा के काबिज है।
2. यह कि प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 की व अन्य [illegible] की गांव भैसावता में संयुक्त खातेदारी की ओर भी भूमि थी जिसके बाबत [illegible] से विभाजन का दावा रतनकौर बनाम रेशमा आदि पेश हुआ [illegible] उस वाद [illegible] निर्णय से भूमि का विभाजन हो गया तथा नामान्तरकरण सं. 385 [illegible] किया गया तथा भूमि ख.न. 203, ख.न. 204, ख.न. 207, ख.न. 295/204 [illegible] ख.न. 205, ख.न. 280 , ख.न.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.09.22 12:29:11 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

282 ख.न. 298/208 की भूमि के साथ शामिल कर दिया गया एवं इसमें प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 एवं उनकी माता सरबति के हिस्से परिवर्तित कर दिये गये अर्थात वर्तमान खाता सं. 22 के ख.न. 203, ख.न. 204, ख.न. 205, ख.न. 207, ख.न. 280, ख.न. 282, ख.न. 295/204 , ख.न. 298/208 किता 8 रकबा 1.78 है. में प्रतिवादी सं. 1 का 19/1424 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 का 19/1424 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 का 19/1424 हिस्सा एवं उनकी माता सरबति का 19/1424 हिस्सा दर्ज कर दिया प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 की माता सरबति की मृत्यु हो चुकी है जो जनवरी सन् 2020 में फौत हो चुकी है प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 उसके वारीस है।

3. यह कि भूमि ख.न. 203 ,ख.न. 204, ख.न. 205, ख.न. 207, ख.न. 280, ख.न. 282, ख.न. 295/204, ख.न. 298/208 किता 8 रकबा 1.78 है. में प्रतिवादी सं. 1 लगातय 3 का व उनकी माता का प्रत्येक का 19/1424 हिस्सा है जिसके अनुसार उक्त चारों के हिस्से में 0.0950 है. रकबा आता है।

4. यह कि भूमि ख.न. 203, ख.न. 204, ख.न. 207, ख.न. 295/204 किता 4 रकबा 1.14 है. में प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 व उनकी माता का 1/12 हिस्सा था जिसके अनुसार उनके हिस्से में 0.0950 है. रकबा आता है।

5. यह कि भूमि ख.न.203 ,ख.न. 204, ख.न. 205, ख.न. 207, ख.न. 280, ख.न. 282, ख.न. 295/204, ख.न. 298/208 किता 8 रकबा 1.78 है.में वादीगण का 0.0950 है. हिस्सा है अर्थात प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 व उनकी माता सरबति का 76/1424 हिस्सा जो दर्ज है वह हिस्सा वादी का है क्योकि वादी ने प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 व उनकी माता से उनका सम्पूर्ण हिस्सा खरीद लिया है 76/1424 हिस्सा में 0.0950 है रकबा ही बनता है एवं वही रकबा वादी ने पंजिकृत विक्रय पत्र से खरीद किया है इसलिये प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 व उनकी माता सरबति का नाम इस खातेदारी से हजफ कर उनके स्थान पर वादी को खातेदार घोषित किये जाने योग्य है।

6. यह कि वाद वर्णित भूमि में वादी का 76/1424 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 एवं उनकी माता सरबति के स्थान पर है वादी अपने हिस्से का खाता विभाजित करवाने का अधिकारी है।।

7. यह कि वाद वर्णित भूमि में वादी का 76/1424 हिस्सा है लेकिन इस भूमि में वादी के खरीदने के पश्चात विभाजन का नामान्तरकरण दर्ज करने से वादी का नाम इसकी खातेदारी में दर्ज नही हुआ क्योकि प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 एवं उनकी माता का सम्पूर्ण भूमि में 76/1424 हिस्सा दर्ज कर दिया गया अर्थात सेग्रिगेशन की कार्यवाही हुई तो प्रत्येक खातेदार का अलग–अलग हिस्सा दर्ज कर दिया गया प्रत्येक का हिस्सा अलग दर्ज होने से विक्रय पत्र में हिस्सा संयुक्त लिखा था इस कारण वादी के नाम इस भूमि की खातेदारी दर्ज नही हुई बल्किवादी विक्रय पत्र पंजिकृत होते ही खातेदार बन गया था इसलिये वादी को प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 व उनकी माता सरबति के स्थान पर खातेदार घोषित किये जाने योग्य है।

8. यह कि वाद वर्णित भूमि वादी की खरीद शुदा होने व वादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज नही होने तथा वादी का खाता संयुक्त [illegible] वादी को ऐसी अपूर्तनीय क्षति है जिसका मुद्रा में मूल्याकंन नही किया जा सकता है इसलिये वादी के लिये अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं अपने हिस्से का खाता विभाजन करवाना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.09.22 12:29:11 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

राजस्व वाद स. 99/2020
जयसिंह बनाम बलबीर आदि
निर्णय दिनांक 7/8/23

9. यह कि दावा के लिये आधार विवाद वादी द्वारा वाद वर्णित भूमि दिनांक 02.05.2017 को खरीदने एवं इसमें वादी का नाम खातेदारी में दर्ज नही होने एवं वादी का खाता संयुक्त रहने से पैदा हुआ है वैसे भी इस प्रकार के दावों के लिये कानून में कोई मियाद निर्धारित नही है।

10. यह कि वाद वर्णित भूमि वाके ग्राम भैसावता खुर्द में स्थित है जो न्यायालय श्रीमानजी की हदूद में है इसलिये यह दावा सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त है।

11. यह कि प्रतिवादी सं. 4 लगायत 42 संयुक्त खातेदार होने व प्रतिवादी सं. 43 लैण्ड होल्डर है जो आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है।

12. यह कि दावा खाता विभाजन के लिये 1 रूपया कोर्ट फीस नियत है तथा घोषणात्मक के लिए भी 1 रूपया कोर्ट फीस नियत है व रिकार्ड दुरूस्ति के लिये भी 1रूपया कोर्ट फीस नियत है इसलिये दावा कुल 3/रूपयें कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमानजी की सेवामें पेश है।

13. यह कि वाद पत्र द्वितिय प्रति मे हैं एवं वाद पत्र के समर्थन में वादी का शपथ पत्र पेश हैं।

14. यह कि विवादित भूमि का अपड़ेटड रिकार्ड पेश है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन हैं कि :–

(क). कि वाके ग्राम भैसावता खुर्द तहसील बुहाना स्थित भूमि हालख.न.203 रकबा 0.43 है. ,ख.न. 204रकबा 0.33 है., ख.न. 205 रकबा 0.31 है., ख.न. 207 रकबा 0.25 है., ख.न. 280रकबा 0.13 है., ख.न. 282 रकबा 0.10 है., ख.न. 295/204 रकबा 0.13 है., ख.न. 298/208 रकबा 0.10 है. किता 8 रकबा 1.78 है.में वादीको 76/1424 हिस्सा का खातेदार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 एवं उनकी माता सरबति पत्नि ताराचन्द का नाम हजफ किये जाने की कृपा करे तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने की कृपा करे।

(ख). कि वाके ग्राम भैसावता खुर्द तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल ख.न.203 रकबा 0.43 है. ,ख.न. 204 रकबा 0.33 है., ख.न. 205 रकबा 0.31 है., ख.न. 207 रकबा 0.25 है., ख.न. 280 रकबा 0.13 है., ख.न. 282 रकबा 0.10 है., ख.न. 295/204 रकबा 0.13 है., ख.न. 298/208 रकबा 0.10 है. किता 8 रकबा 1.78 है.में वादी को 76/1424 हिस्सा का मापन एवं सीमाकंन कर खाता विभाजित किया जाने की कृपा करे एवं लगान अलग से कायम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने की कृपा करे।

(ग). कि वादी का दावा विरूद प्रतिवादी डिक्री कर अन्य कोई अनुतोष जो सहवन से अयाचित रह गया हो वादीगण वाजिब हकदार हो दिलवाये जाने कि कृपा करें।

दावा दर्ज रजिस्ट्रर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। जिस पर जारी की गई प्रति. सं. 4,6,10,11,13 से 19, 24, 31, 32, 36, 38, 39 की ओर से श्री सुरेश जाड़िया अधिवक्ता उपस्थित आये। जिन्होने इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया। शेष प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.09.22 12:29:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झनूं (राज.)

राजस्व वाद स. 99/2020
जयसिंह बनाम बलबीर आदि
निर्णय दिनांक 7/8/23

साक्ष्यवादी में वादी का शपथ पत्र पेश किया गया दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में विकय पत्र प्रदर्श पी–1 , जमाबन्दी प्रदर्श पी–2, इन्तकाल नं. 385 प्रदर्श पी–3, जमाबन्दी प्रदर्श पी–4 व प्रदर्श पी–5 प्रस्तुत किये।

दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 29.04.2022 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिपॉर्ट दिनांक 06.07.2023 (इस कार्यालय में दिनांक 07.07.2023) को प्राप्त हुयें।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। कुर्रेजात रिर्पोट निर्देशानुसार प्राप्त हुई है। अधिवक्ता वादी ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमती जाहीर की। अतः न्यायालय मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट वाद वादी अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

– :: आदेश ::–

न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन किया जाना न्यायोचित पाता अतः वाके ग्राम भैसावता खुर्द तहसील बुहाना स्थित भूमि हालख.न.203 रकबा 0.43 है. ,ख.न. 204रकबा 0.33 है., ख.न. 205 रकबा 0.31 है., ख.न. 207 रकबा 0.25 है., ख.न. 280 रकबा 0.13 है., ख.न. 282 रकबा 0.10 है., ख.न. 295/204 रकबा 0.13 है., ख.न. 298/208 रकबा 0.10 है. किता 8 रकबा 1.78 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव '''अ–1 लगायत अ–3'' व नक्शा प्रदर्श '' ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 7/8/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.09.22 12:29:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद स. 99/2020
जयसिंह बनाम बलबीर आदि
निर्णय दिनांक 7/8/23

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद स. 99/2020 जीसीएमएस नम्बर ~~2015/00274~~ 2020/00181

जयसिंह – बनाम – बलवीर आदि

दावा – घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती,खाता विभाजन।

वादी की ओर से श्री **राजेश यादव एडवोकेट** की उपस्थिति एवं श्री **सुरेन्द्र नाड़िया,** अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 4, 6, 10, 11, 13 से 19, 24, 31, 32, 36, 38, 39 की उपस्थित में तथा शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थित में इस वाद में आज तारीख ....को **सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और डिकी दी जाती हैं कि –

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन किया जाना न्यायोचित पाता अतः वाके ग्राम भैसावता खुर्द तहसील बुहाना स्थित भूमि हालख.न.203 रकबा 0.43 है. ,ख.न. 204रकबा 0.33 है., ख.न. 205 रकबा 0.31 है., ख.न. 207 रकबा 0.25 है., ख.न. 280 रकबा 0.13 है., ख.न. 282 रकबा 0.10 है., ख.न. 295/204 रकबा 0.13 है., ख.न. 298/208 रकबा 0.10 है. किता 8 रकबा 1.78 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "'अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श " ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। ।"

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक 7/8/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.09.22 12:29:11 IST
Reason: SelfAttested